बद्री प्रसाद भगवान देवी एजुकेशनल सोसायटी, मौहल्ला प्रेमपुरी दनकौर जिला-गौतम बुद्ध नगर

पूर्व एजेण्डा के अनुसार दिनांक ०५ जनवरी २०२२ को संस्था की साधारण सभा की बैठक कार्यालय पर आयोजित की गयी। जिसकी अध्यक्षता श्री संदीप गर्ग जी ने की बैठक का कोरम पूरा रहा। अतः बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

प्रस्ताव सं० एक -

विद्यालय को मा० शिक्षा विभाग उ० प्र० से सी०बी०एस०सी० बोर्ड से मान्यता के लिए एन० ओ० सी० लेने के सम्बन्ध में निम्न प्रतिबंध क्रम क से ट तक के स्वीकार करने के पर विचार

(क) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(ख) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में राज्य सरकार के जिला स्तर के किसी अधिकारी को संस्था द्वारा सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा।

(ग) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बलिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(घ) सस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री.एजूकेशन नई दिल्ली/काउंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सवार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(ड) संस्था के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भतों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें।

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कर्मचारियों की अनुमन्य सेवानिवृत लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(छ) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर भी आदेश निर्गत किये जायेंगे तथा संस्था उसका पालन करेगी।

(ज) विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जा रही है तथा भविष्य में भी हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जायेगी।

(झ) विद्यालय का रिकार्ड प्रपत्र/पंजिओं में रखा जायेगा।

(ञ) उपर्युक्त क्रम क से झ में कोई परिवर्तन / संशोधन बिना शासन एवं विभाग की अनुमति के नहीं किया जायेगा।

(ट) उपर्युक्त क्रम क से ज तक के प्रतिबन्धों को बने सोसायटी के बाइलॉज में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।

सभा में प्रस्ताव रखा गया कि सी०बी० एस० सी० बोर्ड से मान्यता लिए मा०शिक्षा विभाग उ० प्र० से एन० ओ० सी० लेनी होती है उसके लिए उपरोक्त प्रतिबंध क्रम क से ट तक के स्वीकार करने आवश्यक हैं। सभी ने प्रतिबन्ध सुनकर सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की है।

सत्यप्रतिलिपि

Preeti Garg Nisha Garg